न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2022	2022/045	14.02.2022	02.11.2022

उनवान प्रकरण

1. विकम पुत्र नाथू, उम्र 50 वर्ष, जाति मीणा निवासी चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. घासीराम पुत्र गंगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर राज0

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. क्षैत्रीय वनपाल, नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान

—अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

श्री हरिप्रसाद गुप्ता, एड0 अप्रार्थी संख्या 2 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वि[illegible] इस प्रकार है कि [illegible] ग्राम चीपलाटा तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर [illegible]जस्थान में अवस्थित पुर[illegible]

02/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खसरा नम्बर 821/4 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन सैटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.52 हैक्टर का दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 1 हैं तथा पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/5 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन सैटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1667 रकबा 1.52 हैक्टर का दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार प्रार्थी नम्बर 2 हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1666 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/4 से तथा भूमि खसरा नम्बर 1667 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/5 से बनाया जाना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से दर्शित हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमियां पुराने खसरा नम्बर 821 के मिन बट्टा नम्बर 821/4 व 821/5 बने है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 821 के जो मिन बट्टा नम्बर बनाये गये उनकी जमाबंदी व रकबा तो अलग अलग दर्ज कर दिये गये थे किन्तु पुराने नक्शा ट्रेस में 821 से बने मिन बट्टा नम्बर का पुराने नक्शा ट्रैस में अंकन नही किया गया था। वरवक्त द्वितीय सैटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में पुराने खसरा नम्बर 821 के बने मिन बट्टा नम्बरान का मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नये नम्बरान व रकबे का अंकन तो द्वितीय सैटलमेन्ट में सही दर्ज कर दिया गया किन्तु द्वितीय सैटलमेन्ट में नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के नवीन खसरा नम्बरान 1666, 1667 व अन्य खसरा नम्बर 1664, 1665 (जो क्रमशः पुराने खसरा नम्बर 821/6, 821/8 से बने है) का सही जगह अंकन नही किये गये हैं तथा द्वितीय सैटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा नवीन नक्शा ट्रैस में जो तरमीम खसरा नम्बर 1666, 1667, 1664, 1665 किये गये हैं। वह अप्रार्थी नम्बर 2 व प्रार्थीगण को बिना सूचना दिये व बिना सुने नक्शा ट्रैस में गलत जगह तरमीम की गयी हैं। जिसको नवीन नक्शा ट्रैस में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 821 में से खातेदारान की भूमियों के बट्टा नम्बर दर्ज कर खातेदारी प्रदान की गयी थी तथा उसके पश्चात पुराने खसरा नम्बर 821 की शेष रही भूमि 821/8 रकबा 332 बीघा 15 बिस्वा की भूमि वन विभाग अप्रार्थी नम्बर 2 को दी गयी थी। जिसकी खातेदारी अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर दी गयी थी तथा नक्शा ट्रैस में अंकन नही किया गया था। पुराने भूमि खसरा नम्बर 821 के मिन बट्टा नम्बर 821/4, 821/5, 821/6, 821/8 के अलावा अन्य भूमियों की खातेदारी जो द्वितीय सैटलमेन्ट में नक्शा ट्रैस में सही दर्ज कर दी तथा प्रार्थीगण की नवीन भूमी खसरा नम्बर 1666, 1667 व अन्य भूमि खसरा नम्बर 1664 व 1665 का नवीन नक्शा ट्रैस में जो अंकन किया गया हैं। वह अप्रार्थी नम्बर 2 की भूमियों में गलत जगह कर दिया गया जबकि वास्तविक रूप से अप्रार्थी नम्बर 2 वन विभाग की भूमियां पुराने नक्शे में दर्शित की गयी हैं। उसमें वन विभाग के पुराने नक्शे में चक नम्बर 19 से प्रार्थीगण की भूमियां पुराने खसरा नम्बर 821/4, 821/5 व अन्य भूमि खसरा नम्बर 821/6, 821/8 की भूमियां दर्शित है। जिनको राजस्व नक्शा ट्रैस में पुराने चक नम्बर 19 में नवीन खसरा नम्बर 1666, 1667, 1664 व 1665 मे अंकन किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रैस को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। वरवक्त द्वितीय सैटलमैन्ट कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा बिना कोई प्रार्थीगण को सुनवाई के गलत व अवैध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वन विभाग के नक्शे में दर्शित प्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 19 में नवीन खसरा नम्बर 1666, 1667, 1664, 1665 का अंकन नही कर गलत व अवैध रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नम्बर 1666, 1667, 1664, 1665 का अंकन कर दिया गया हैं। जिसको दुरूस्त किया जाकर वास्तविक स्थान पर नवीन नक्शा ट्रैस में अंकन कर नवीन राजस्व नक्शा ट्रैस को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। उक्त नक्शा ट्रैस में दुरूस्ती नही होने से प्रार्थीगण अपनी भूमियों का समुचित उपयोग–उपभोग नही कर पा रहे हैं तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। उक्त नक्शा ट्रैस में दुरूस्ती बाबत् अप्रार्थी नम्बर 1 को निवेदन किया तो अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा नक्शा ट्रैस में त्रुटि वरवक्त द्वितीय सैटलमैन्ट होने के कारण न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती की चाराजोही करने बाबत् कहां गया इसलिए प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पत्र बाबत् नक्शा ट्रैस में दुरूस्ती हेतु पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पुराने नक्शा ट्रैस से नवीन सैटलमेन्ट में जो नवीन नक्शा ट्रैस बनाया गया है। उसमें दर्ज प्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 1666, 1667 व अन्य खसरा नम्बर 1664, 1665 तन् ग्राम चीपलाटा तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जो राजस्व नक्शा ट्रैस में अंकन किया गया है को दुरूस्त कर सही जगह नक्शे में उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम के आदेश दिये जाकर नक्शा ट्रैस को दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट में किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की नोटिस तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 उपस्थित आयें एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अजीतगढ़ से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार अजीतगढ़ ने जरिये पत्रांक 248/राजस्व/2022 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मुताबिक रिपोर्ट भू0 अभिलेख निरीक्षक, सांवलपुरा तंवरान व पटवारी हल्का चीपलाटा के अनुसार इस प्रकार से है कि :– प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में तरमीम दुरूस्ती/नक्शा शुद्धि का वाद करवाया गया है। भूमि खसरा नम्बर 1666, 1667 वर्तमान में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा [illegible] सीट में सही स्थान पर तरमीम नहीं कर वन विभाग की भूमि के [illegible] पर तरमीम कर दी गई है। जिसे प्रार्थीगण उक्त भूमि की तरमीम मौका कब्जा अनुसार व वन विभाग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड (चक नं. 19) अनुसार करवाने चाहते है, जो दुरूस्त किया जाना उचित हैं। ग्राम चीपलाटा के नवीन खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.52 हैक्टेयर विक्रम पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी चीपलाटा के नाम खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड हैं, जो कि पुराने खसरा नं. 821/4 रकबा 06 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.52 हैक्टर बना है एवं ग्राम चीपलाटा के नवीन खसरा नम्बर 1667 रकबा 1.52 है0 घासीराम पुत्र गंगाराम जाति बलाई निवासी चीपलाटा के नाम खातेदारी हक दर्ज रिकोर्ड हैं, जो कि पुराने खसरा नम्बर 821/5 रकबा 06 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 1667 रकबा 1.52 है0 बना है। उपरोक्त खातेदारान् के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि के नवीन एवं पुराने खसरा नम्बर के रकबे में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। उक्त खातेदारान् के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि चीपलाटा की जमाबंदी चोसाला संवत् 2030–33 में दर्ज रिकार्ड होकर आदिनांक तक यथावत खातेदारी बरकरार है। ग्राम चीपलाटा की भूमि खसरा नम्बर 1668 रकबा 84.16 है0 वन विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं। जो कि पुराने खसरा नम्बर 821/9/2 रकबा 332 बीघा 15 बिस्वा से बना हैं, जो जमाबंदी चौसाला संवत् 2038–41 की जमाबंदी में दर्ज होकर आदिनांक तक खातेदारी बरकरार हैं। वन विभाग के रकबा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है अर्थात् खातेदारान् के नाम से खातेदारी भूमि पहले दर्ज हुई हैं एवं वन विभाग के नाम से खातेदारी भूमि बाद में दर्ज हुई है। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा तैयारशुदा नक्शा सीट में वन विभाग के द्वारा इस नक्शा सीट के पैमानें अनुसार चक नं. 19 तरमीम कर दर्शाया गया हैं। उपरोक्त चक नं. 19 का रकबा नक्शा सीट में रकबा बरारी करने पर 6.08 है0 होता हैं एवं नवीन भूमि खसरा नं0 1664, 1665, 1666, 1667 का कुल रकबा 6.08 है0 हैं, उक्त स्थान (वन विभाग की नक्शा सीट में दर्शित चक नं. [illegible] नवीन भूमि खसरा नम्बर 1664, 1665, 1666, 1667 के सभी खातेदारान् [illegible] नक्शा सीट में प्रतिस्थापित कर दुरूस्त किया जाना उचित है। खसरा नम्बर [illegible]/पुराना 1736/1018 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

01 गै0मु0 चाह से 1004 मी0 दुरी पर चक नम्बर 19 का दक्षिणी–पश्चिमी बिन्दु व उक्त चाहो से 0870 मी. दुरी पर चक नम्बर 19 का उतरी–पुर्वी बिन्दु एवं ग्राम सकराय के खसरा नम्बर 140 (नया) व 849 (पुराना) चीपलाटा, रकबा 0.03 है. गै.मु.चाहा से 541 मी. दुरी पर चक नम्बर 19 का उतरी–पूर्वी कोना व उपरोक्त चाहा से 852 मी. की दुरी पर चक नम्बर 19 का दक्षिणी पश्चिमी कोना व उपरोक्त चाहा से 615 मी. दुरी पर चक नम्बर 19 का दक्षिणी–पूर्वी कोना के बिन्दुओं का निर्धारण कर नक्शा लट्ठा में ग्राम चीपलाटा के नक्शें में उतरी 270 मी., दक्षिणी 276 मी., पश्चिमी 226 मी., पूर्वी 220 मी. भुजाओं में चक नम्बर 19 का निर्धारण कर खसरा नम्बर 1668 में तरमीम कर वादीगण 01 व 02 की भूमी खसरा नम्बर 1666 व 1667 को वर्तमान सीट में मूल स्थान से हटाये जाकर निर्धारित सीमाओं में प्रतिस्थापित किया जाना उचित होने बाबत अभिशंषा रिपोर्ट प्रेषित की है।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने वकील अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब पेश कर दिये जाने से एंव नायब तहसीलदार अजीतगढ़ से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए राजस्व ग्राम चीपलाटा तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/4 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन सैटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.52 हैक्टर का दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/5 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन सैटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1667 रकबा 1.52 हैक्टर का दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार प्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1666 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/4 से तथा भूमि खसरा नम्बर 1667 जो पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/5 से बनाया गया है। जिसको नक्शा में सैटलमेंट विभाग द्वारा वन विभाग की भूमि के अन्दर गलत अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कर दिये जाने से उसकी दुरूस्ती करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो नायब तहसीलदार अजीतगढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट से भी प्रमाणित होता है तथा नायब तहसीलदार अजीतगढ़ ने भी इसे दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। वही वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 1(6)(23) राज0 8/73 दिनांक 21.04.73 से वन खण्ड गांवडी के ग्राम चीपलाटा की 5355 बीघा भूमि रक्षित वन भूमि घोषित की गई है। जिसमें ख0न0 821 की 332 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेहड रक्षित वन भूमि का भाग है। उक्त रक्षित वन भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद होकर जमाबंदी सं. 2034–36 में वन विभाग के नाम खातेदारी दर्ज है तथा तत्समय ही उक्त अधिसूचित रक्षित वन भूमि के सीमा सतम्भ मौके पर लगाकर वन भूमि कब्जे सरकार ली गई है। जो आज तक वन विभाग के कब्जे एवं अधिकार में चली आ रही है। नवीन भू प्रबन्ध में भू प्रबंध अधिकारी द्वारा उक्त अधिसुचित वन भूमि के नये ख0न0 1666 रकबा 1.52 हैक्टर की वन भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिसूचित वन भूमि में खातेदारी अधिकार दिया जाना शुन्य है। अधिसूचित रक्षित वन भूमि के इन्द्राजात में परिवर्तन करने का राजस्व या भू प्रबंध अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है और न ही रक्षित वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग करने का किसी को कोई अधिकार प्राप्त है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानान्तर्गत किसी भी अधिसूचित रक्षित वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के निषेध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–12–1996 के अनुसार किसी भी अधिसूचित रक्षित वन भूमि बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी उपयोग निषेध है। राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प–2 (142) राज0 9/93 जयपुर दिनांक 14–12–2001 के अनुसार वन विभाग के नाम दर्ज इन्द्राजात को हटाये जाने की अनुमति नहीं होने तथा राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प–1/(53) वन/2011 दिनांक 29–2–12 के अनुसार किसी भी अधिसूचित वन भूमि में आवंटन/[illegible] तरमीम आदि करना निषेध है। वन भूमि के संबंध [illegible] अधिकार दिया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होना अपनी बहस [illegible] किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 (तीन), 2067–2070, 2038–2041, 2034 से 2037, 2038–2041, 2018–2021, 2022–2025, 2026–2029, 2030–2033, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, खसरा बन्दोबस्त बाबत वन विभाग, नक्शा ट्रेस पुराना व नवीन राजस्व विभाग व वन विभाग का, नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम चीपलाटा तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/4 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन सैटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.52 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 1 के नाम व पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/5 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन सैटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1667 रकबा 1.52 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त खसरा नम्बर 1666 पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/4 से तथा खसरा नम्बर 1667 पुराने भूमि खसरा नम्बर 821/5 से बनना पाया जाता है। चक नं. 19 का रकबा नक्शा शीट में रकबा 6.08 हैक्टर होना पाया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1664, 1665, 1666, 1667 का कुल रकबा भी 6.08 हैक्टर होना पाया जाता है। जो वन विभाग की नक्शा शीट में चक नं. 19 से दर्शित किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है। वन विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने भी द्वितीय सैटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के सहवन से वन विभाग के नक्शे में दर्ज हो जाने तथा प्रार्थीगण की भूमियों का राजस्व नक्शा ट्रेस में वास्तविक [illegible] में तस्मीम नहीं कर उक्त भूमियों को सहवन से वन विभाग [illegible] में अंकन कर दिया गया। जो कि वरवक्त द्वितीय सैटलमेंट [illegible] नक्शा ट्रेस में अंकन हुआ है। यहॉ प्रार्थीगण का प्रकरण किसी भी प्रकार से [illegible] विभाग की खातेदारी की भूमियों में से खातेदारी प्राप्त करने का नहीं है एंव न ही उक्त प्रकरण में वन विभाग की द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सैटलमेंट से पूर्व के रकबे में से कोई खातेदारी प्राप्ति का ही है। वन विभाग की वे भूमियॉ जो वन विभाग को अलाटमेंट की हुई है। वो उस समय से वर्तमान प्रार्थीगण के दुरूस्ती के प्रकरण से भी किसी प्रकार से रकबे के कमी बेशी की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आना पाई जाती है। प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों की द्वितीय सैटलमेंट में राजस्व नक्शा ट्रेस में वन विभाग की भूमियों में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियों का नक्शा गलत तरमीम कर दिया गया। जिसको मात्र सही स्थान पर नक्शें में तरमीम करवाने सम्बन्धित दुरूस्ती प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत चाहा गया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाही गई दुरूस्ती करण की स्वीकारोक्ति से जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियॉ वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बरान् का अंकन वन विभाग की भूमि में नक्शें में गलत दर्ज है। वह दुरूस्त होकर वन विभाग की भूमि की वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती होगी तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियॉ नक्शा ट्रेस में वास्तविक स्थान पर अभिशंषा रिपोर्ट नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के मुताबिक वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बरान् का अंकन किया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस का दुरूस्तीकरण होकर समस्त विवाद का निस्तारण होगा। इसलिए वर्तमान राजस्व नक्शा शीट में द्वितीय सैटलमेंट में सहवन से दर्ज नवीन खसरा नम्बरान् 1664 से 1667 तन् ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर को वर्तमान नक्शा ट्रेस से हजफ किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 1664 से 1667 तन् ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर का वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकन नायब तहसीलदार अजीतगढ़ की अभिशंषा रिपोर्ट के तहत किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1664 से 1667 के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में वरवक्त द्वितीय सैटलमेंट में गलत किये गये तरमीम को मुताबिक नायब तहसीलदार अजीतगढ़ की रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित राजस्व नक्शें में की हुई वर्तमान तरमीम को हजफ किया जाकर प्रस्तावित संशोधित तरमीम के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1664 से 1667 का नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया जाकर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं तथा उप तहसीलदार (भू0अ0) अजीतगढ़ के पत्रांक 248/राजस्व/2022 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व नजरी नक्शा (नक्शा ट्रेस) को निर्णय का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावें। तद्नुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

02/11/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:47:09 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/11/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
दिलीप सिंह
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर